हरियाणा में महाराष्ट्र की तर्ज पर काम करेगी यातायात पुलिस

चर्चा में क्यों?

13 जनवरी, 2023 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार राज्य में सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिये महाराष्ट्र की तर्ज पर पुलिस प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है, इसलिये राज्य में यातायात पुलिस की व्यवस्था बदली जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य में आईजी ट्रैफिक ने महाराष्ट्र की तर्ज पर एसपी स्तर के अधिकारियों की यातायात पुलिस में तैनाती करने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिये महाराष्ट्र की तर्ज पर पुलिस प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी।
- गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा की यातायात व्यवस्था बहुत ढीली चल रही है। राज्य सरकार ने आईजी ट्रैफिक का पद तो बना दिया लेकिन आईजी ट्रैफिक के पास शक्तियाँ न के बराबर हैं। आईजी एक एसएचओ का तबादला भी नहीं कर सकते। एसएचओ और डीएसपी ज़िले में पुलिस अधीक्षकों के अधीन आते हैं। पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से ही आईजी को निर्देश देने पड़ते हैं।
- उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था को लेकर जो खाका तैयार किया गया है उसके तहत आईजी ट्रैफिक इंचार्ज होगा। पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को यातायात पुलिस में लगाया जाएगा। एक एसपी के अंतर्गत चार या पाँच ज़िले रहेंगे। ज़िलों में ट्रैफिक डीएसपी कार्यरत होंगे। इन डीएसपी के अधीन एसएचओ ट्रैफिक होगा।
- विदित है कि हरियाणा में बीते वर्ष 2022 में 9951 सड़क दुर्घटनाओं में 4516 व्यक्तियों की जान गई और 8447 व्यक्ति घायल हुए हैं। परिवहन विभाग ने 2023 में 20 फीसदी दुर्घटनाएँ कम करने का लक्ष्य रखा है।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये परिवहन विभाग सभी ज़िलों के लिये रोड सेफ्टी एसोसिएट्स अनुबंध आधार पर नियुक्त करेगा। राज्य सरकार ने सड़कों पर मार्किंग करने के निर्देश दिये हैं। ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और लावारिस पशुओं की सींगों पर रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाने को कहा गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/traffic-police-will-work-on-the-lines-of-maharashtra-in-haryana